तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कुलदीपसिंह जाटव **बनाम** सरकार (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 74/2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2021/170)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27-8-2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः सम्पर्क/आरटीआई./2021–22/208 दिनांक 22.6.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री कुलदीप सिंह जाटव को इस कार्यालय के पत्र कमांक सुगम/सू0अ0/2021/994–95 दिनांक 05.03.2021 के जरिये रजिस्टर्ड डांक से पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। जिसके पत्र की प्रति पेश की है। अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को कार्यालय के पत्र कमांक सुगम/सू0अ0/2021/994–95 दिनांक 05.03.2021 के जरिये रजिस्टर्ड डांक से पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रतियॉ संलग्न कर पेश की है। अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ नया आवेदन संलग्न कर उक्त सूचना का विवरण निर्धारित कॉलम भाग संख्या 1,2 व 3 में चाहा गया है जिसके लिये अपीलार्थी पृथक से आवेदन करने के लिये स्वतंत्र है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	